CCA 17 Gen Letters

–: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर :–

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / वि0जॉच / सी / 11350(01) / 2004 / २१० दिनांक : 18/02/2020

निदेशक,
जिला सैनिक कल्याण विभाग,
कमरा नं 7225, खाद्य भवन,
शासन सचिवालय,
जयपुर (राजस्थान)

विषयः– श्रीमती पुष्पा भारद्वाज,व.अ.(सेवा समाप्त) ए.एफ.रोड, जोधपुर के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 13808–10 दिनांक 04.12.2019 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग के संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमती पुष्पा भारद्वाज व0अ0 (सेवा समाप्त) रामावि0 विद्याशाला, जोधपुर को उपनिदेशक (माध्यमिक) जोधपुर द्वारा दिनाक 12.05.99 से बिना सूचना के स्वेच्छा से अनुपस्थित होने पर ज्ञापन क्रमाक ईडीडी/ माध्य / जोध / ई.जी / वि. जांच / 02 / 4853 दिनांक 07.03.2002 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया था । उक्त सीसीए नियम 16 की विभागीय जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांचोपरान्त आरोप सिद्धि के आधार पर उपनिदेशक (माध्य0) जोधपुर द्वारा आदेश क्रमांक–ईडीडी / माध्य / जोध / वि0जांच / 03 / 7331 दिनांक– 16–09–2003 के द्वारा राज्य सेवा से तुरन्त प्रभाव से (DISMISSED FROM SERVICE) किया गया ।

उक्त जारी दण्डादेश के विरूद्ध श्रीमती पुष्पा भारद्वाज द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–23 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.03 को कार्यालय स्तर पर अपील प्राप्त हुई जिसे अपीलाण्ट अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकार कर उपनिदेशक (माध्यमिक) जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर श्रीमती भारद्वाज को सुनवाई का अवसर दिया गया। जिसके पश्चात् प्राप्त तथ्यों का गहनता पूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर पाया गया कि श्रीमती भारद्वाज दिनाक 12.05.99 से अपने कर्तव्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही है अतः अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया दण्ड उचित मानते हुए अपील को खारिज कर दण्ड को यथावत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण दिनांक 05.10.10 को कर दिया गया ।

श्रीमती भारद्वाज द्वारा विभिन्न स्तर पर बार–बार इस संबंध में पत्र व्यवहार किया जा रहा है जिनके भी प्रतिउत्तर में वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। श्रीमती भारद्वाज को भी अवगत कराया जा चुका है कि उनके प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है । प्रासंगिक पत्र के क्रम में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –:

1. शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव (राज्यपाल प्रकोष्ठ) जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी क्रमांक 5496 / 20 दिनांक 02.09.2019 के क्रम में।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा

अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर